Continuation Note Sheet

18-12-24

वकील साहिबान अनुपस्थित। प्रार्थीगण अनुपस्थित। गैरहाजरी का कोई कारण प्रस्तुत नहीं। किसी भी बार बार आवेदन लगाकर सुनवाई नहीं। बार बार आवेदन लगाकर सुनवाई अनुचित है। प्रार्थी के अधिवक्ता की गैरहाजरी के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र खारिज होने के कारण अनिवार्य पक्षकार गोविन्द अनिवार्य रहे।